भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4976
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषताएं

4976. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और सिंचाई अवसंरचना, जल संरक्षण और दक्षता सुधार के लिए अब तक आवंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई नहरों, चेक बांधों के निर्माण और मरम्मत और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना सहित शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) तमिलनाडु में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं, कृषि उत्पादकता और जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने में पीएमकेएसवाई का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) वर्षा जल संचयन और पनधारा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत क्या उपाय किए जा रहे हैं और इन पहलों से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को कार्यान्वित करना आदि है। पीएमकेएसवाई में वर्तमान में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

i. पीएमकेएसवाई- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
ii. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) द्वारा हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।
iii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

इन घटकों की स्थिति निम्नानुसार है;

i. पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) ने 88 परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम) के समान रूप से कार्यान्वयन के साथ-साथ निन्यानबे (99) संचालित प्रमुख/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2021-22 से, नौ नई एमएमआई/विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को योजना में शामिल किया गया है।

ii. पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के अंतर्गत, सतही लघु सिंचाई योजना और जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (रेस्टोरेशन) योजना के अंतर्गत क्रमशः 5673 योजनाओं/परियोजनाओं में क्रमशः 354.66 हजार हेक्टेयर और 109.37 हजार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं बनाई गई हैं।

iii. (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) योजना के वाटरशेड विकास घटक में प्रमुख गतिविधियाँ हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी उगाना, वनरोपण, बागवानी, चारागाह विकास आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, 28 राज्यों में 6382 वाटरशेड विकास परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 से अब तक इन परियोजनाओं से लगभग 47.83 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत एक प्रमुख सिंचाई परियोजना "तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों में तामिराबरनी, करुमेनियार और नांबियार नदियों को जोड़कर कन्नड़ चैनल से सथानकुलम, थिसायनविलई के सूखा प्रवण क्षेत्रों तक बाढ़ वाहक नहर का निर्माण" कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के लिए अनुमानित केंद्रीय सहायता 44.22 करोड़ रुपये है, जिसमें से 34.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 23,040 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है।

तमिलनाडु में चरण I से VIII तक के 398 जल निकायों को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी घटक की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार के अंतर्गत लिया गया है। कार्यक्रम के तहत 172.46 करोड़ रुपये के अनुमानित केंद्रीय हिस्से में से 137.99 करोड़ रुपये तमिलनाडु को जारी किए गए हैं।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य में 180.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी वाली 28 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और 157.27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के तहत 67.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पीडीएमसी के पीएम-आरकेवीवाई का हिस्सा बनने के बाद से अब तक 29.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 12.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी के तहत राज्य को 2805.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****